

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दां0प्र0क0-327 / 16
संस्था0दि0 18 / 07 / 16

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

—: विरुद्ध :-

शेख इसराईल पिता हबीब शाह, उम्र 48 वर्ष,
जाति मुस0, पेशा मजदूरी, निवासी वार्ड नं0 5,
आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 18 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 / 196 के तहत अभियोग है कि दिनांक 28 / 05 / 16 समय 10 बजे करीबन हनुमान मंदिर हेंड पम्प के पास मेनरोड ठानी माल आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 में लोकमार्ग पर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 48 एम.एच. 6813 को उतावलेपन या उपेक्षा से इस प्रकार चलाया जिसमें मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो जाये। उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।
- 2— प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 18 / 07 / 16 को अभियुक्त और फरियादी सावन के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-337 का अपराध राजीनामा योग्य होने से अभियुक्त को भा0दं0वि0 की धारा 337 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी टंडन केम्प बोडखी रहता है। दिनांक 28 / 05 / 16 के सुबह करीब 10 बजे दिन की बात है। वह मोटर साईकिल क्रं. एम.पी. 48 एम.एच. 6813 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर उसकी मोटर साईकिल को जोर से टक्कर मारकर एकसीडेंट कर दिया जिससे वह मोटर साईकिल सहित नीचे गिर गया। टक्कर मारने व गिरने से उसे मस्तिष्क पर, नाक पर दाहिने हाथ, बांये पैर के पंजे पर चोट आकर खून निकला था एकसीडेंट में उसकी मोटर साईकिल का सामने का हेड पूरी तरह से टूट गया है थोड़ी

देर बाद 108 एम्बुलेंस आई और ईलाज हेतु आमला अस्पताल लेकर आये आमला अस्पताल में डाक्टर साहब द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया उसके बाद उसे डाक्टर ने शासकीय अस्पताल बैतूल रिफर कर दिया, आमला अस्पताल में पिताजी दीपक उसकी बुआ का लड़का अनिल मौसी नीता आ गए थे। जिन्हें उसके द्वारा घटना की बात बताई थी। उसका एक्सीडेंट घटना स्थल के आस पास के लोगों ने और आने जाने वाले राहगीरों ने देखा है। उसके बाद वह सरकारी अस्पताल उसके प्रायवेट साधन से गया था। बैतूल में अस्पताल में एक दिन भर्ती रहा। उसके बाद प्रायवेट अस्पताल राठी में अपनी चोटों का इलाज करवाया। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।

4— प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अप0कं0-276/16 भा.द.सं धारा-279, 337 एवं मो0व्ही0ए0 की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 10/06/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया। आहत मेडिकल मुलाहिजा किया गया। दिनांक 26/06/16 एवं दिनांक 30/06/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 एवं 05 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। दिनांक 26/06/16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— —: न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 28/05/16 समय 10 बजे करीबन हनुमान मंदिर हेंड पम्प के पास मेनरोड ठानी माल आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 में लोकमार्ग पर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 48 एम.एच. 6813 को उतावलेपन या उपेक्षा से इस प्रकार चलाया जिसमें मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो जाये?”

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी सावन (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना 28/05/16 की होकर ग्राम ठानी के पास मंदिर के आगे मेन रोड की सुबह 10 बजे की थी। घटना के समय वह उसकी मोटर साईकिल से बैतूल जा रहा था तभी बैतूल की ओर से आरोपी इसराईल मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम.एच. 6813

को चलाकर लाया और दोनों की मोटर साईकिल एकदम से टकरा गई जिसमें वे सड़क पर गिर गये जिससे उन सभी को चोटें आई। कोई भी मोटर साईकिल तेजगति एवं लापरवाही से नहीं चल रही थी। इस गवाह को शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि आरोपी इसराईल ने मोटर साईकिल एम.पी. 48 एम.एच. 6813 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना की। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आरोपी इसराईल गाड़ी को धीरे-धीरे चला रहा था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि घटना के समय दोनों गाड़ियाँ धीरे चल रही थी और अचानक टकरा गई थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट नहीं होता है कि वाहन क्रमांक मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम.एच. 6813 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से नहीं चलाया गया।

8— अभियोजन साक्षी एस0डी0 साहू (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी सावन के निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 26/06/16 को आरोपी इसराईल से गवाहों के समक्ष मोटर साईकिल एम.एफ.जेड. जिसका क्रं एम0पी0 48 एम.एच. 6813 उसका रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेन्स जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थी सावन गवाह दीपक, रामकली, गीता, मीता, रवि के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। दिनांक 30/06/16 को प्रार्थी सावन के पेश करने पर उसके इलाज के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— आगे इस गवाह ने बताया कि दिनांक 26/06/16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 6 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह गवाह विवेचना अधिकारी है और यह गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। स्वयं फरियादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चला रहा था। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 48 एम.एच. 6813 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाया। इस प्रकार विचारण प्रश्न क्रं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण

11— अभियोजन साक्षी एस0डी0 साहू (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आरोपी से वाहन का बीमा मांगा था लेकिन आरोपी ने घटना दिनांक को बिना बीमा के मोटर साईकिल चलाना बताया था। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष को कोई खंडन व चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार यही माना जायेगा कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल को बिना बीमा के चलाया।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 48 एम.एच. 6813 को बिना बीमा के चलाया। इस प्रकार विचारण प्रश्न क्रं0 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 48 एम.एच. 6813 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाया। किन्तु उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 48 एम.एच. 6813 को बिना बीमा के चलाया। इस प्रकार अभियुक्त ईसराइल को भा0द0वि0 की धारा 279 के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है किन्तु मोटर यान अधिनियम की धारा-146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

14— प्रस्तुत तर्क एवं अभिलेख के अवलोकन उपरांत अभियुक्त को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध के आरोप में 300/—(तीन सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

15— प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन बजाज डिस्कवर क्रमांक एम0पी0 48 एम.एच. 6813 को वाहन के पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0